

43

भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

Recommended for approval

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की आये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

दिनांक- 26/3/18  
स्थान- Lucknow

Handwritten signature and 'हस्ताक्षर' (Signature) text.

नाम-  
डा० प्रशान्त कुमार वर्मा  
सरकारी मोहर  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम- 1980.  
उ०प्र०, लखनऊ